

2.2

9

TO: 955942220029

Page 1

16.	नीडापानी से पतलिया-ज्योस्थूडा मो0 मार्ग में डामरीकरण	5.00	88.50	85.50	0.01
17.	पतलिया से ज्योस्थूडा तक मो0 मार्ग का नव निर्माण	7.00	149.44	124.60	0.01
18.	चिकर ब्रह्म रामगढ़ से स्वीकृत सामथेत कृण मोटरमार्ग के किमी0 1 में 30 मी0 स्पान के मोटर लॉह सेतु (मिरिंग सेतु) का निर्माण	30 मीटर	52.00	52.00	0.01
19.	मोटर लॉह सेतु (मिरिंग सेतु) का निर्माण	5.00	81.00	81.00	0.01
20.	पौडीखाल भास्ती मार्ग से सिंगोली चौण्डी मोटर मार्ग।	6.00	150.90	103.50	0.01
21.	छांडाखान से हाइस्कर नाली पोखरी तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण।	2.70	14.44	14.44	0.01
22.	बिशनपुरी बुटयपुरी सम्पर्क मार्ग के किमी0 10 से ग्राम नन्दपुर-महादेवपर सेतु रा. क. मार्ग का पुन. निर्माण।	1.70	23.97	23.97	0.01
23.	ग्राम पीरलखान से अलतपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	2.20	31.02	31.02	0.01
24.	राजपुर से धारी तक मार्ग का निर्माण। ललितपुर से नई दल्ली होते हुए सवखनपुर तक मार्ग का निर्माण।	1.40	19.74	19.74	0.01
			3522.65	3140.01	0.24

(रूपये चौबीस हजार मात्र)

(कीट) को 0 पन्त) संयुक्ता सचिव।

प्रतिनिधि का कार्य (I) / II का 100 लॉह सेतु मार्ग

प्रतिनिधि का कार्य अतिर करके (500) / 100 लॉह सेतु मार्ग

का 100 लॉह सेतु मार्ग का 100 लॉह सेतु मार्ग

प्रतिनिधि का कार्य अतिर करके (500) का 100 लॉह सेतु मार्ग

का 100 लॉह सेतु मार्ग का 100 लॉह सेतु मार्ग

सहायक अभियन्ता बस्थई साहू, लो. नि. वि. भवाली (नेनीताल)

सहायक अभियन्ता बस्थई साहू, लो. नि. वि. भवाली (नेनीताल)

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा होने के बाद ही का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण किया जायेगा।
12. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य वि बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के व्यय विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि दिनांक-31.03.2006 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य करारों समय टेंडर विषयक नियम भी अनुपालन किया जाय।
14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।
15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
16. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक में लोक निर्माण वि के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य नामे डाला जायेगा।
17. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अध्यासकीय संख्या-यू.ओ.-790/XXV मं.प.प.प.- 24 मार्च, 2006 में प्राप्त उत्पत्ति सहमति जारी किये जा रहे हैं।

गतरीमा,

(टी0 क0 पन्त)

रायकुस सचिव।

संख्या-796

(1)/111-2/05, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमायू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायू क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन।
9. गार्ड बुक।

A.H. Misra



सहायक बन्धियस्ता

बस्थार्थ कण्ड, बो० नि० वि०

भवाली (नैनीताल)

द्वारा प्रति प्रमाणित



सहायक बन्धियस्ता-2

बस्थार्थ कण्ड, बो० नि० वि०

भवाली (नैनीताल)

आज्ञा से

(टी0 क0 पन्त)

रायकुस सचिव।